प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 11.09.2024

पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का अपराध करने के आरोप में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमंचा, खोखा कारतूस, लूट की सोने की चैन, 01 अदद मोबाइल, घटना में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल व एसओजी/स्वाट प्रभारी मनीष यादव के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 831/2024 धारा 103(1),309(4) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद रईस निवासी हुमांयूपुर उत्तरी श्रीवास्तव गली थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद लूट की सोने की चैन, 01 अदद मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 839/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त मुकदमें में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह एक मोबाइल कंपनी में प्रमोटर के रुप में काम करता है तथा उस पर लाखो रूपयों का कर्ज है। उसकी दुकान के बगल में ही मृतक की गारमेंट की दुकान थी जहां से अभियुक्त की मृतक से जान पहचान हुई थी। अभियुक्त ने मृतक के गले में सोने की चैन देखी थी। कर्जदारों से परेशान होकर अभियुक्त ने मृतक से सोने की चैन छिनकर कर्ज चुकाने की योजना बनाई तथा दिनांक 05.11.2024 को पार्टी देने के बहाने मृतक को मिलने के लिए बुलाया और लौटते समय मृतक के घर के समीप गले पर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी तथा सोने की चैन लेकर भाग गया। आज दिनांक 09.11.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त के गिरफ्तारी का प्रयास किया गया जहां अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद रईस निवासी हुमांयूपुर उत्तरी श्रीवास्तव गली थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 831/2024 धारा 103(1),309(4) भा0न्या0सं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 839/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद लूट की सोने की चैन, 01 अदद मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू व 01 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल अतुल कुमार श्रीवास्तव
2. एसओजी/स्वाट प्रभारी उ0नि0 मनीष कुमार यादव
3. उ0नि0 धर्मवीर सिंह थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
4. उ0नि0 अमित चौधरी थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
5. हे0का0 राम इकबाल राव एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
6. हे0का0 अरूण खरवार एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
7. हे0का0 दुर्गेश मिश्रा एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
8. हे0का0 अरूण यादव एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
9. हे0का0 करूणापति तिवारी एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
10. का0 रवि चौधरी एसओजी/स्वाट जनपद गोरखपुर
11. का0 अमन कुमार, थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
12. का0 मो0 आफताब थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
13. का0 धीरेन्द्र थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
14. का0 गोविन्द लाल थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
15. का0 राहुल कुमार थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
16. का0 शैलेष कुमार थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर
17. का0 राजू कुमार बिन्द थाना चिलुआताल जपनद गोरखपुर